न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान) केम्प कोर्ट, खेतरली
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 137/2021 GCMS No 2021/32
दायरा तिथि : 24.11.2021
फैसला तिथि : 24.11.2021

प्रार्थी::–
सवाराम पुत्र मांगा जाति गरासिया
निवासी खेतरली खाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 24.11.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थी सवाराम पुत्र मांगा जाति गरासिया ने प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 केम्प खेतरली में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 पेश कर प्रार्थी द्वारा ग्राम खेतरली खाडा पटवार हल्का कूरण तहसील बाली में सह खातेदारी धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 कुल खसरा–09 कुल रकबा 3.38 हैक्टर में बतौर सह खातेदार **दर्ज अपने नाम नेनीया पुत्र मांगा को त्रुटिपुर्ण** बताते हुये **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम सवाराम पुत्र मांगा दर्ज** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य परिवार राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में पटवारी हल्का, कूरण व निरीक्षक भू0अ0 भीमाना ने जांच कर प्रार्थी का नाम जमाबंदी में नेनीया दर्ज होना तथा प्रार्थी द्वारा धारित समस्त अन्य दस्तावेजो में उसका नाम सवाराम दर्ज होना बताया। जांच में मौतबिरान द्वारा भी नेनीया को ही सवाराम होना बताया। जिससे दस्तावेजो के अनुसार रेकर्ड में दर्ज नेनीया के स्थान पर सवाराम दर्ज किया जाना उचित बताया। उक्त रिपोर्ट से अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली ने भी सहमति व्यक्त करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज नेनीया के स्थान सवाराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम खेतरली खाडा पटवार हल्का कूरण तहसील बाली में प्रार्थी के सह खातेदारी धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 कुल खसरा–09 कुल रकबा 3.38 हैक्टर में बतौर सह खातेदार **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम नेनीया पुत्र मांगा को दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम सवाराम पुत्र मांगा दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कूरण को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) *

आदेश आज दिनांक **24.11.2021** को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

Scanned with CamScanner